14/3/17 - [illegible] 29/3/17 [illegible]

29/3/17 - वकील वादी उपस्थित। [illegible] 15 दिवस के [illegible] पत्रावली [illegible] के लिये [illegible] [illegible] [illegible] है वकील वादी [illegible] [illegible] [illegible] वकील वादी की [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश दि० 10/4/17 को पेश हो।

[illegible] नायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
दूदू

10/4/17 - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० न वादी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को पेश हो।

[illegible] नायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
दूदू

न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 107 / 2016

वाद दायरी दिनांक : 27 / 06 / 2016

निर्णय दिनांक : 10/4/17

रामचन्द्र पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी रामपुरा भूरटिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

–– वादी

बनाम

1. शांतिदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद सिंघला जाति बलाई निवासी बगरू खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
2. सुनितादेवी पत्नि कालुराम जाति बलाई निवासी बगरूखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
3. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद ज़िला जयपुर राज0

–– प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व तरमीम दुरूस्ती

(अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – *श्री कन्हैयालाल माली*
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व तरमीम दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के आराजी खाता संख्या 1112 के आराजी खसरा नम्बर 6621 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6622 रकबा 1.5300 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8700 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0 मे रिथत है जो वर्तमान मे वादी के नाम

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा आराजी खाता संख्या 1311 के आराजी खसरा नम्बर 6620 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6623 रकबा 1.2600 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद ग्राम मे स्थित है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। विवादित आराजीयात के साबिक एवं हाल खसरा नम्बर निम्नअनुसार है:–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
5055/1	0.3400	6621	0.3400
5055/2	0.7600	6620	0.7600
5056/1	1.5300	6622	1.5300
5056/2	1.2600	6623	1.2600

उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन रहा है।

विवादित आराजीयात साबिक रिकार्ड मे खसरा नम्बर 5055 एवं 5056 के रूप में तरमीम हो रखी थी तथा वादी के पूर्व अधिकारी का अपने हिस्से अनुसार आज मौके के कब्जे अनुसार एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार काबिज काश्त रहे तथा तत्पश्चात वादी काबिज काश्त चला आ रहा है शेष साबिक रकबे की आराजीयात पर प्रतिवादीगण के पूर्व अधिकारी काबिज काश्त रहे तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे है पक्षकारान आज से पूर्व तरमीम को लेकर किसी प्रकार का विवाद नही रहा है। विवादित आराजीयात के नवीन खसरा नम्बर 6621, 6620, 6622, 6623 के रूप में कायम किये गये तथा हाल नक्शा ट्रेस में जो तरमीम की गयी वह मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे के विपरीत की गयी एवं ऐसी तरमीम करने का सैटलमेन्ट कर्मियो को कोई विधिक अधिकार नही था बावजूद इसे जो तरमीम की गयी वह इस कारण से काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात की मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्से अनुसार रकबा बरारी करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्वकर्मियो द्वारा जो तरमीम की गयी वह मौके पर कब्जे अनुसार व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार नही की गयी है इसलिए उक्त नक्शे मे हुई त्रुटी दुरूस्त किये जाने योग्य है वादी की उक्त विवादित आराजीयात के खसरा नम्बर 6620, 6621, 6622, 6623 के उत्तरी पूर्व भुजा पर काबिज काश्त है जिसको नजरी नक्शे में बरंग लाल से दर्शित किया गया है तथा प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 6620 (सम्पूर्ण), 6621, 6622, 6623 के पश्चिमी भुजा पर जिस पर काबिज काश्त है जिसको संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शित किया गया है उक्त नजरी

Scanned by CamScanner

नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है तथा इसी अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इसी अनुसार हुई त्रुटि को दुरूस्त कर घोषणा करवाने का वादी अधिकारी हैं। उक्त नक्शे मे त्रुटी की जानकारी वादी को नही रही परन्तु वादी के द्वारा हाल ही दिनांक 10/06/2016 को पटवार हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी लेने पर नक्शे में हुई त्रुटी की जानकारी हुई,जिस पर तहसीलदार महोदय एवं प्रतिवादीगण को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया, जिनके इन्कार हो जाने पर यह वाद पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 6620, 6621, 6622, 6623 के नक्शा ट्रेस की वर्तमान तरमीम हजफ फरमायी जाकर मौके पर कब्जे अनुसार एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करे इस बाबत तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि बाद दुरूस्ती तरमीम वादी के हिस्से की भूमि से वादी को बेदखल नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त में मुजाहमत नही करें तथा मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 13/02/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की रजिस्टर्ड एडी से तामिल होकर प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अधिवक्ता वादी द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू 1 रामचन्द्र, पी.डब्लयू 2 सीताराम, पी.डब्ल्यू 3 रामजीवण के शपथ–पत्र पेश हुये, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही कर बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074, नक्शा ट्रेस साबिक, नक्शा ट्रेस हाल, मिलान क्षैत्रफल, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प्रतिवादीगण, प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हाल नक्शा व साबिक नक्शा का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह पाया जाता है कि साबिक

Scanned by CamScanner

नक्शे में साबिक खसरा नम्बर 5055 व 5056 के रूप में दो ही नम्बर रहे है, जिसके हाल सैटलमेन्ट में हाल नक्शे में 6620, 6621, 6622, 6623 के रूप में चार खसरा नम्बर कायम किये गये हैं। वादी ने अपने वाद–पत्र में आराजी खसरा नम्बर 6620, 6621, 6622, 6623 के उत्तरी पूर्वी भुजा पर काबिज काश्त होना एवं प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 6620 (सम्पूर्ण), 6621, 6622, 6623 के पश्चिमी भुजा पर काबिज काश्त होना दर्शित किया है तथा इसी काबिज अनुसार नजरी नक्शा पेश कर हाल नक्शे में तरमीम करवाने का निवेदन किया। वादी के वाद–पत्र के तथ्यों के बाबत तहसीलदार दूदू से तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब प्राप्त हुआ, जिसमें भी वादी ने अपने वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में जिस प्रकार से काबिज काश्त होने बाबत नजरी नक्शा पेश किया है, उसी अनुसार पैरोकार ने भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मौके पर काबिज काश्त होने का अपने तथ्यात्मक रिपोर्ट में उल्लेख किया है, चूंकि वादी द्वारा जमाबन्दी व नक्शे के रकबा में किसी प्रकार से परिवर्तन नही करवाया जा रहा है, मात्र आराजीयात को अपनी सहुलियत अनुसार मौके पर काबिज काश्त होना दर्शित कर उसी अनुसार तरमीम सही करवाने बाबत निवेदन किया है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल के न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति पेश नही हुई है, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर तरमीम दुरूस्ती किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 6620, 6621, 6622, 6623 वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद की हाल नक्शे की तरमीम हजफ की जाकर मौके पर काबिज अनुसार एवं मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त कर दर्ज की जाती हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक निर्णय हाल नक्शे में तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/4/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : [illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 ज़ाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर द्वि. जिला जयपुर (राज०)

इजलास श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

...नन्द पुत्र लादूराम जाति जाट ... रामपुरा [illegible] बनाम 1. शांतिदेवी पत्नि [illegible] प्रकाश [illegible] [illegible] व तस्लीम [illegible] 2. [illegible] पत्नि [illegible], जाति [illegible] [illegible], तह० [illegible] 3. तहसीलदार, तह० [illegible]

मुकदमा नं. 107/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ...

जिरो ...

मिनजानिब मुद्दई रूबरू ...

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर [illegible]

अतः वादी का तकाज़ा वाद-पत्र डिक्री किया जाकर हाल ख.नं. 29, 6621, 6622, 6623 वाके ग्राम [illegible] तह० [illegible] को हाल [illegible] को तस्लीम हिस्सा की जाकर मौके पर काबिज [illegible] एवं [illegible] तहसीलदार [illegible] को रिपोर्ट [illegible] तस्लीम [illegible] कर [illegible] को जाती है। तहसीलदार [illegible] को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक [illegible] हाल [illegible] से तस्लीम [illegible] की कार्यवाही करे।

इस [illegible]

अदायगी तक ... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत [illegible] अदालत के आज तारीख 10 माह 4 सन् 2017 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर द्वि.
[illegible]

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...ना वकील			खर्चा गवाहान		
...वाहान			फीस कमिश्नर		
...मिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
...जराय हुकमनामा			मुतफरिक		
...क					
मीजान			मीजान		

...खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner